

प्रहन सं. [क. 154]

मध्यप्रदेश शासन

आदिम जाति अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 29, अगस्त 1992

कमांक-एफ 21-6/25-5/91 इस विभाग के आदेश कमांक एफ 8-5/25/4/84 दिनांक 26.12.84 द्वारा प्रसारित सामाजिक तथा शिक्षात्मक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग जातियों की अनुसूची के सरल कमांक 12 पर अंकित जातियों डीमर, भोई, कहार, धीवर आदि के साथ सम्मिलित मांझी को इस सूची से विलोपित किया जाता है यह आदेश तत्काल प्रभावशील होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

हस्ता०

(एम.जी.कानगो)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

आदिम जाति अनु०जा० तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

पृष्ठांकन कमांक एफ 21-6/25-5/91

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं पालनार्थ,

भोपाल, दिनांक 29, अगस्त 1992

1. शासन के समस्त विभाग
2. समस्त विभागाध्यक्ष
3. समस्त आयुक्त, म.प्र.
4. समस्त जिलाध्यक्ष, म.प्र.
5. आयुक्त आदिवासी विकास, म.प्र., भोपाल
6. संचालक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, भोपाल
7. समस्त अपर आयुक्त, क्षेत्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति विकास प्राधिकरण, म.प्र.
8. समस्त सहायक आयुक्त, उपायुक्त, अनुसूचित जाति/जनजाति विकास, म.प्र.
9. समस्त जिला संयोजक, अनु०जा०/जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण, म.प्र.
10. नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, म.प्र. भोपाल की ओर अग्रेषित।
कृपया इसे राजपत्र में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

आदिम जाति अनु० जा० तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

A.H.S.R.
M.J.K.
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग,
मंत्रालय, भोपाल